

**कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर**

दिनांक : 26-07-2020

पत्रांक 541/न्याय सहायक/2020-कोविड-19

**आदेश**

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति को मूढिगत कोविड-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण को रोकने से रोकने हेतु समय-समय पर भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार द्वारा विभिन्न निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसका अनुपालन जनपद स्तर पर सुनिश्चित किया जा रहा है। विशेष रूप से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देश दिनांक 29.06.2020, तत्पश्चात मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश ए० 1790/2020/सी०एक्स-3 दिनांक 09.07.2020 एवं शासनादेश संख्या 1755/2020 सी०एक्स-3 दिनांक 14.07.2020 तत्कम में इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या-3911/ओएसडी/2020 दिनांक 14-07-2020 द्वारा जनपद कानपुर नगर में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने हेतु विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस विभाग एवं प्रशासन की समिति की संयुक्त आख्या द्वारा संज्ञानित किया गया है कि कानपुर महानगर के बाना क्षेत्र चकौरी, कल्यानपुर, नौबस्ता, बरौ, स्वरूपनगर, गोविन्दनगर, काकादेव, कौतवाली, फीलखाना और ग्यालटोली में कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण तेजी से प्रसारित होने तथा बड़ी संख्या में कोविड घनात्मक मामले होने के कारण कोरोना वायरस के तीव्र संक्रमण एवं प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु उक्त बाना क्षेत्रों को "बृहद कन्टेनमेंट जोन" बनाया जाना उचित प्रतीत होता है।


अतः उपरिनिर्दिष्ट भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार के निर्देशों के क्रम में तथा महामारी अधिनियम 1897 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं वाचित के अनुपालन में मैं डा० बृहददेव राम तिवारी जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर उक्त बाना क्षेत्रों में को दिनांक 26/27 जुलाई को रात्रि 12 बजे से दिनांक 31.07.2020 की रात्रि 10:00 बजे तक की अवधि हेतु "बृहद कन्टेनमेंट जोन" के रूप में प्रख्यापित करता हूँ। बृहद कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार गतिविधियाँ अनुमत्त एवं निषिद्ध रहेंगी -

1. "बृहद कन्टेनमेंट जोन" में स्थित हाट, बाजार, गस्ता मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं समस्त धार्मिक स्थल इत्यादि बंद रहेंगे।
2. "बृहद कन्टेनमेंट जोन" में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने, जिनमें आई०टी० तथा आई०टी० से सम्बन्धित सर्विलेज से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं, चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड-19 हेल्थ-डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी।
3. इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएँ यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएँ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भाँति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वायरस, स्वच्छता उर्गी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
4. रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भाँति जारी रहेंगा। रेलों से आने वाले यात्रियों को आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
5. अन्तर्राष्ट्रीय (International) एवं घरेलू (Domestic) हवाई सेवाएँ यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों को तथा वहाँ से अपने गंतव्य स्थल तक जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

6. माल वाहन वाहनों से आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प पर एवं हाई-वे पर स्थित डाबे पूर्ववत् खुले रहेंगे।
7. इस अवधि में स्थानीय प्रशासन एवं नगर निगम, जालपुर द्वारा सफाई एवं स्वच्छता (Sanitization) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु बृहद अभियान चलाया जायेगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
8. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 तथा संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुये समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
9. बृहद कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में स्थित आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालयों को छोड़कर शेष सभी कार्यालय बन्द रहेंगे परन्तु राष्ट्रीय राज् मार्ग अथवा राज्य मार्ग की तरफ खुलने वाले ऐसे बड़े प्रतिष्ठान एवं कार्यालय जिनका आवासीय क्षेत्र से किसी प्रकार का सम्पर्क न हो, खुल सकेंगे। आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही को रोकना नहीं जाएगा।
10. इस अवधि में सभी बृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़क, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
11. प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा-अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस व नगर निकायों द्वारा पब्लिक एंट्रेस सिस्टम (PA System) द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।
12. बृहद कन्टेनमेंट जोन में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जायेगा। पुलिस टीमों/यू0पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। इन क्षेत्रों में जोनल सेक्टर स्कॉम लागू रहेंगी।
13. बृहद कन्टेनमेंट जोन में सब्जी एवं फलों की समस्त मण्डियाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों एवं मार्क लगाने व सेनेटाइजेशन की कड़ी शर्तों के साथ खुलेंगी।
14. मुख्य राष्ट्रीय राज्य मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्जनपदीय मार्ग चलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी मार्गों पर यातायात अत्यावश्यक अपरिहार्य स्थितियों के अतिरिक्त सामान्य विनिश्चित किया जायेगा।
15. बृहद कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तु यथा-राशन की दुकानें, फल, सब्जी, दूध, अण्डा, मछली, मीट, ग्रेड की दुकानें, किराना, रसोई गैस, पेट्रोल पम्प, सी0एन0जी0 पम्प आदि खुले रहेंगे परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियाँ पूर्णतः बन्द रहेंगी। फल सब्जी को सचल टैलों से डोर-टू-डोर डिलीवरी अनुमत्त होगी। परन्तु एक स्थान पर एक समय में एकाधिक टैले खड़े नहीं होंगे। इनके खुलने का समय प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे के मध्य रहेगा।
16. फल सब्जी को छोड़कर सड़क किनारे लगाने वाले अन्य सभी प्रकार की दुकानें/टैले/पेण्डर/फास्ट-फूड आदि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे।
17. यदि किसी सड़क के एक तरफ की सीमा बृहद कन्टेनमेंट जोन के किसी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है तो उस सड़क के दूसरी तरफ की सीमा, चाहे वह जिस थाना क्षेत्र में स्थित हो, में स्थित दुकानें बन्द रहेंगी।
18. औद्योगिक इकाइयों तथा बृहद निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक मशीनरी पार्ट और सामग्री की आवश्यकता होती है तो दुकानों को खोलकर उनकी आपूर्ति की जा सकेगी।
19. बाक आपूर्ति और कन्टेनर सेवा की लोडिंग/अनलोडिंग के लिए गोदाम/वेयरहाउस इत्यादि समय विशेष पर खोले जा सकेंगे।

20. हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, क्लिनिक एवं अन्य मेडिकल/पैरामेडिकल और मेडिकल स्टोर अनवरत चलते रहेंगे और 24 घण्टे खुले रहेंगे।
21. चिकित्सकीय उपकरणों एवं अनाज, राशन इत्यादि क्य करने के लिये अथवा अनुमन्य सेवाओं तथा साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन के कार्य, म्यूनिसिपल सर्विसेज, विद्युत सेवाएं, इन्फान्ट्रक्षर प्रांजक्ट्स, सरकारी निर्माण कार्य, उद्योग एवं कारखाने, बैंक, आईटीओ, सेवा के प्रदाता एवं उनके कार्मिक आवागमन विशिष्ट उद्देश्य हेतु कर सकेंगे। बैंकों के एटीएम की सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी।
22. बृहद कन्टेनमेन्ट जोन क्षेत्र में आवासित व्यक्तियों में बृहद कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर स्थित कार्य स्थलों तक आवागमन हेतु केवल चिकित्सा सेवा, पैरामेडिक्स, अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मियों प्रेस नोटिफा, समाचार पत्र हाकर्स को कार्य हेतु आवागमन की अनुमति होगी। सामान्य कार्यालय आवागमन विशिष्ट आवश्यकता पर ही किया जाए एवं यथासभव वर्क-फ्राम-होम द्वारा कार्य किया जायेगा।
23. वर्तमान में उक्त क्षेत्र में संचालित कन्टेनमेन्ट जोन अथवा कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के निवास/कार्य स्थल के आस-पास लगाये गये प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे तथा वहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य नहीं होंगी।
24. इन क्षेत्रों में घर-घर गहन सर्विलांस की गतिविधियाँ, सेनीटाइजेशन एवं साफ-सफाई के कार्यों के अभियान सघन रूप से संचालित किये जायेंगे।


उपरोक्त निर्देशों का स्थानीय स्तर पर अनुपालन न किया जाना महामारी अधिनियम-1897 का उल्लंघन माना जायेगा तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।  
संलग्नक: यथोपरि।

  
 (डा० ब्रह्म देव राम तिवारी)  
 जिला मजिस्ट्रेट,  
 कानपुर नगर।

**पुष्टांकन संख्या : / तददिनांकित**

तिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

12. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
13. सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, उ०प्र०/नोडल अधिकारी, कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ।
14. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
15. नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर नगर।
16. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
17. समस्त अपर जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
18. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर।
19. नगर मजिस्ट्रेट/समस्त नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उपजिलाधिकारी, कानपुर नगर।
20. समस्त राजकीय कार्यालयों के विभागाध्यक्ष।
21. उप निदेशक, सूचना, कानपुर नगर।
22. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कानपुर नगर।

  
 (डा० ब्रह्म देव राम तिवारी)  
 जिला मजिस्ट्रेट,  
 कानपुर नगर।